कम्प्यूटर संख्या-1584764
संख्या-2134/12-3-2021

प्रेषक

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ:: दिनांक: 25/02/2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म -800-अन्य व्यय 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0203-कृषि विकास योजनाएँ (के.60/रा.40-के+रा.) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./609/लेखा-03/2021-22, दिनांक 22.12.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0203-कृषि विकास योजनाएँ (के.60/रा.40-के+रा.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 570.98 लाख **(रू0 पॉच करोड़ सत्तर लाख अट्ठानबे हजार मात्र)** की धनराशि निम्न तालिका के अनुसार अधोलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. स.	परियोजना का नाम	विभाग/ संस्था का नाम	एस 0 एल 0 एस 0 सी0 अनुमोदन		लेखाशीर्षक/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
			बैठक दिनाँक	धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7
1	Crop Diversification Programme in original green revolution States (CDP-OGRS)	कृषि विभाग	28.06.2021	5180.32	**अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म -800-अन्य व्यय 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0203-कृषि विकास योजनाएँ (के.60/रा.40-के+रा.)** 27-सब्सिडी 42-अन्य व्यय **योग**	 460.92 110.06 **570.98**

(रू0 पॉच करोड़ सत्तर लाख अट्ठानबे हजार मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।

3- वर्तमान में प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022, के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, भारत सरकार द्वारा

पुनर्वैध की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 15.04.2021 एवं प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि विषयक पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2021 एवं 27.9.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा पुनर्वैध/अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित पुनर्वैध एवं अवमुक्त केन्द्रांश राज्य के समेकित निधि में जमा है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों /गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदांे में भारत सरकार द्वारा आर0के0वी0वाई0-रफ्तार हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा। प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा। प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का उत्तरदायित्व होगा। वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

6- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक

संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही रखी जाएगी, यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

8- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact Assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

10- स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

11- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म - 800-अन्य व्यय 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0203-कृषि विकास योजनाएँ (के.60/रा.40-के+रा.) के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375 /10-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

13- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-1-3581-दस-2021-22, दिनांक 17.2.2022 द्वारा दी गयी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

बृज खन्डू सिंह यादव
Signed by बृज खन्डू सिंह यादव
Date: 25-03-2022 17:25:38
Reason: Approved

अ0(SRSY)-AGRICULTURE,
कार्यालय विशेष सचिव-3
(कृषि)

संख्या-2134(1)/12-3-2021-तद्दिनांक **:-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
9- अपर कृषि निदेशक, (गेहूँ मोटा अनाज), कृषि भवन, लखनऊ।
10- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
12- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
बृजराज सिंह यादव, SS-3(SRSY)-AGRICULTURE,
कार्यालय विशेष सचिव-3 (कृषि)